वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 14.08.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला,भारत कनेक्ट,ज्ञानशिखा टाइम्स,जागरूक एक्स्प्रेस, न्यायाधीश,सुरेश गाँधी,आईनेक्स्ट,," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 14.08.2025

बाउंड्री वॉल बनाने के बाद कराएं विकास कार्य

वाराणसी। पांडेयपुर आवासीय योजना के लिए बुधवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यहां बाउंड्रीवाल बनाने के बाद विकास कार्य कराएं। पूर्व में किए निरीक्षण के क्रम में आवाप्ति एवं विधि अनुभाग को विवरण पेश करने के निर्देश दिए। यहां 12 भूखंड के संबंध में बताया गया कि इसमें विकास कार्य कराने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। इस पर वीडीए उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि प्रीकॉस्ट बाउंड्री बनवाने के बाद विकास कार्य कराएं। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 14.08.2025

चिह्नित कर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराएं

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को सभागार में बैठक की। कहा कि शहर में हो रहे अनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग का चिह्नांकन कर ध्वस्तीकरण कराएं। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिकायतों का निस्तारण कराएं। शमन शुल्क मद में शिवपुर और सिकरौल वार्ड में अब तक 2.93 करोड़ रुपये जमा कराए गए। ब्यूरो

भारत कनेक्ट –दि0 14.08.2025

अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी

भारत कनेक्ट संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 13 अगस्त बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1,वार्ड शिवपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी` वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत गुलाब सिंह व निहाल सिंह पुत्रगण मानिक चन्द्र,आराजी नं 265,मौजा-नौनौटी,थाना बड़ागांव जिला वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये जी+1 तल का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28 (2) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता रोहित कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही ।उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 14.08.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

उपाध्यक्ष के निर्देशों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन–1 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन–1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 04.08.2025 से 10.08.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 18,80,299.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0–2,93,88,877.00 स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौपें गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन–1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

जागरूक एक्सप्रेस –दि0 14.08.2025

वीडीए में लम्बित मानचित्रों की हुई समीक्षा बैठक

जिला संवाददाता

वाराणसी। बुधवार को उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत 8 से 10 अगस्त तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु. 18,80,299.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-2,93,88,877.00 स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 1 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौपें गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 14.08.2025

वाविप्रा जोन-1, वार्ड- शिवपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1, वार्ड- शिवपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत गुलाब सिंह व निहाल सिंह पुत्रगण मानिक चन्द्र ,आराजी नं 265,मौजा-नौनौटी,थाना-बड़ागाव, जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये जी+1 तल का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता रोहित कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश –दि0 14.08.2025

अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 की समीक्षा बैठक की गयी

वाराणसी । उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 04.08.2025 से 10.08.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 18,80,299.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0- 2,93,88,877.00 स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

न्यायाधीश –दि0 14.08.2025

पाण्डेयपुर आवासीय योजना के संबंध में उपाध्यक्ष द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा पाण्डेयपुर आवासीय योजना के संबंध में 13 अगस्त समीक्षा बैठक की गयी।पूर्व में किए गए निरीक्षण के क्रम में उपाध्यक्ष द्वारा आवाप्ति एवं विधि अनुभाग को व्यवरेवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे जिसपर आज प्रस्तुत विवरण पर विस्तृत चर्चा की गई। भूखण्ड संख्या 295, 325, 330, 331, 338, 339, 340, 342, 344, 345, 354 एवं 468 के संबंध में जानकारी दी गयी कि इन पर प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।बैठक में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा, नायब तहसीलदार राजीव जायसवाल, तहसीलदार सुनील श्रीवास्तव, विधि निरीक्षक महादेव एवं प्रभाकर पाण्डेय उपस्थित रहे।

सुरेश गॉधी –दि0 14.08.2025

पाण्डेयपुर आवासीय योजना में विकास की रफ्तार तेज होगी, वीडीए उपाध्यक्ष का सख्त निर्देश

विवादित भूखंडों की स्थिति स्पष्ट, अब नहीं रुकेगा काम

सुरेश गांधी

वाराणसी । शहर के पाण्डेयपुर आवासीय योजना के तहत विकास कार्य अब तेजी से शुरू होंगे। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बुधवार को योजना से जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए।

पूर्व में हुए निरीक्षण के बाद उपाध्यक्ष ने आवाप्ति एवं विधि अनुभाग को भूखंडों का व्यवरेवार विवरण देने को कहा था। बुधवार को प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि भूखण्ड संख्या 295, 325, 330, 331, 338, 339, 340, 342, 344, 345, 354 एवं 468 पर विकास कार्य में कोई विधिक बाधा नहीं है। उपाध्यक्ष ने निर्देशित किया कि इन भूखंडों पर पहले प्रीकास्ट बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाए, ताकि भविष्य में अतिक्रमण या विवाद की गुंजाइश न रहे। उसके बाद सड़क, नाली, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य शुरू किए जाएं। बैठक में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, नायब तहसीलदार राजीव जायसवाल, तहसीलदार सुनील श्रीवास्तव, विधि निरीक्षक महादेव और प्रभाकर पाण्डेय मौजूद रहे।

आवंटियों की लंबी प्रतीक्षा

पाण्डेयपुर आवासीय योजना के आवंटी वर्षों से भूखंड मिलने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं के इंतजार में हैं। बुनियादी ढांचा न होने के कारण कई लोग अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाए हैं। ऐसे में विकास कार्यों को हरी झंडी मिलने से आवंटियों में उम्मीद जगी है कि उनका इंतजार अब खत्म होगा।

पिछली देरी के कारण

योजना में देरी का मुख्य कारण कुछ भूखंडों पर विधिक विवाद, अधिग्रहण प्रक्रिया में अड़चन और ठेकेदारी स्तर पर काम की धीमी गति रही है। अब विधिक स्थिति स्पष्ट होने और उपाध्यक्ष के सख्त निर्देश के बाद, अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना के तहत आगे बढ़ने के लिए कहा गया है।

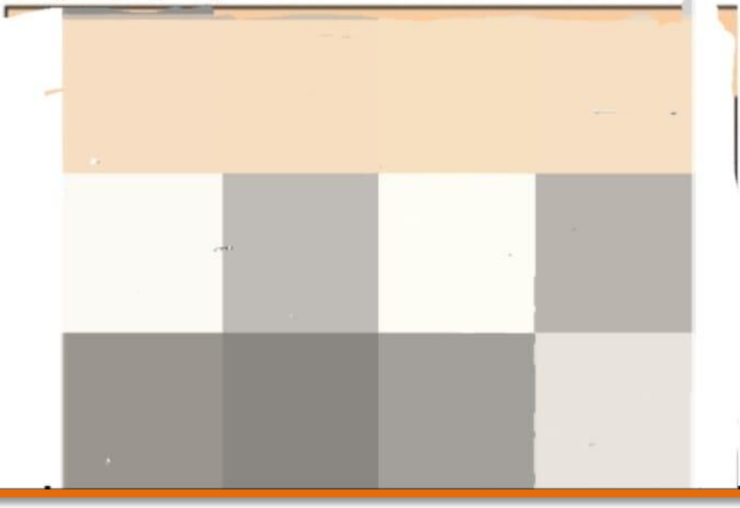

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आईनेक्स्ट –दि0 14.08.2025

आजादी की आभा

सरकारी कार्यालयों को स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम से मनाने के लिए तिरंगे रंग की झालरों से भव्य रूप से सजाया गया. हर कोना देशभक्ति की भावना से सराबोर था, और सजावट में राष्ट्रीय गौरव झलक रहा था. विकास प्राधिकरण की सजावट विशेष रूप से आकर्षक थी, जिसे देखकर लोग उत्साहित और प्रसन्न हो रहे थे. लोगों ने वहां रुककर तस्वीरें लीं और देश के प्रति अपने प्रेम को महसूस किया. हर तरफ़ देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे, जो माहौल को और भी प्रेरणादायक बना रहे थे.